स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

= = = = = = = = = = = = =

क्रमांक - एफ 73 - 8९/20-3/2003 भोपाल, दिनांक -

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय **बोनी फोई स्कूल मरेमा शंकरी, भोपाल** को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी. देने बाबत् ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय **बोनी फोई स्कूल, लोमा शंकरी, भोपाल** को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।

02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।

03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।

04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर. . . .

[illegible] [illegible] को संचालित करने के लिए यदि संस्था या [illegible] की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें [illegible] करना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ता)

(एम० एल० आर्य)
अवर सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73-89/20-3/2003 भोपाल, दिनांक- 30/06/2003

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - **भोपाल, म०प्र०**
3. प्राचार्य,अशा० **बोनी फाई स्कूल, नरेला शंकरी, भोपाल,** म०प्र० -

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

30/6/03

अवर सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

[illegible]
[illegible]

PRINCIPAL
Bonnie Foi Co-Ed Sr. Sec. School
Narela Shankari, Ayodhya Bypass Road, Bhopal

SHARMA
Manager
Bonnie Foi Co Ed Sr. Sec.School
BHOPAL